जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला जयपुर
सेशन प्रकरण संख्या 92/2023
सरकार बनाम महेश वगैरह
एन.सी.वी नम्बर 288/2019

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
30.10.2025	लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान महेश सिंह, रवि, बन्टी व मनराज उर्फ मोनू अनुपस्थित, उनकी ओर से हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र पृथक–पृथक जरियें अधिवक्तागण पेश होने पर आज के लिये स्वीकार किये गये। मुलजिम एलेक्स जरियें विडियों कॉफ्रेन्स उपस्थित। अभियुक्त नरेश पूर्व से मफरूर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह उपस्थित नहीं है। गवाह सं. 14 की तामील लौटी नहीं है एवं गवाह सं. 17 की तामील गवाह के वर्तमान में पीएस चाकू, जिला फलौदी में तैनात होने की रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुई है। प्रकरण में अंतिम दो गवाह ही शेष रहे है। गवाह संख्या 14 व 17 को पुनः जरियें जमानती वारन्ट तादादी 500/–रूपये से तलब किया जावे। गवाह सं. 17 की तामील एस.पी. फलौदी को भेजी जावे। गवाहान की तामील पत्र के साथ इस निर्देश के साथ भिजवाई जावें कि प्रकरण पुराना है, न्यायालय के सर्वाधिक पुराने प्रकरणों में से होकर लक्षित प्रकरणों की सूची में है, जिसमें शीघ्र विचारण अपेक्षित है। अतः गवाहान की तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा करवाई जाकर गवाहान की नियत तारीख पेशी पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। लोक अभियोजक को भी गवाहान् को अपने स्तर पर उपस्थित रखने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 17.11.2025 को पेश हों।	